न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 337/2022

प्रार्थीगण :—

1. नेमीचन्द पुत्र मिश्राराम
2. तीजोदेवी पत्नी मिश्राराम
3. विशनाराम पुत्र मिश्राराम सभी जातियान प्रजापत निवासी मुंगडा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. कमलादेवी पत्नी सांवलाराम
2. देवाराम पुत्र सांवलराम
3. प्यारी देवी पुत्री सांवलराम
4. राणाराम पुत्र सांवलराम
5. सुगणीदेवी पत्नी सांवलाराम सभी भील, निवसीयान मुंगडा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
6. आसुराम पुत्र डुंगराराम जाति सुथार
7. विनय पुत्र डुंगराराम जाति सुथार, निवासी बालोतरा,
8. सोहनलाल पुत्र डायाराम जाति सुथार, निवासी जसोल
9. रूगाराम पुत्र जोराराम जाति कुम्हार, निवासी मांजीवाला
10. आंबाराम पुत्र खेताराम जाति भील, निवासी मांजीवाला
11. ओमाराम पुत्र भुराराम
12. गोविन्द पुत्र भुराराम जाति भील निवासी रामसीन
13. गोविन्दराम पुत्र हनुमानाराम जाति मीणा नि0 मुंगडा
14. ढेणकी देवी पत्नी भंवराराम
15. थानी देवी पत्नी भूराराम
16. बुधाराम पुत्र भुराराम
17. बबुराम पुत्र भुराराम
18. रामेश्वर पुत्र भुराराम
19. श्रवण पुत्र भुराराम सभी जातियान भील, निवासी रामसीन, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।
20. राज. सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थर नेखमबंदी करवाने हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

1. श्री जेठूलाल प्रजापत , अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 1 ता 9, 11, 14 ता 19 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :— 21.6.2023

विवेक व्यास
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद ग्राम मुंगडा, पटवार हल्का मुंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1592/798 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 9, 11, 14 ता 19 को रजिस्टर्ड नोटिस बावजूद सूचना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। शेष विप्रार्थीगण संख्या 10, 12 व 13 को प्रार्थी वकील द्वारा तर्क किया गया ।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा ग्राम मुंगडा, पटवार हल्का मुंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1592/798 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मुंगडा, पटवार हल्का मुंगडा, भू. अभिलेख [illegible] क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1592/79[illegible] [illegible] 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि अवस्थित भूमि [illegible] के आदेश फरमावे जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:32:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि मौजा ग्राम मुंगडा, पटवार हल्का मुंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1592/798 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि अवस्थित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उपरोक्त विवेचनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मुंगडा, पटवार हल्का मुंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1592/798 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर पक्षकारान की उपस्थित मे नेखमबंदी की जावे । कमिश्नर फीस 1500/–अक्षेर रूपये एक हजार पांच सौ जो, प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पुलिस ईमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त कर सकते है। पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 21.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:32:03 IST
Reason: SelfAttested